

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### देवास विकास प्राधिकरण देवास

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, देवास (म. प्र.)

क्रमांक 1712

देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

“प्रारूप उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि, देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस.-06/2020 मिनी सुपर कॉरिडोर अर्थात् तहसील देवास नगर के अन्तर्गत इंदौर-देवास रोड टाटा चौराहे के ग्राम अमोना, बिन्जाना, बीराखेडी, मेढकीचक एवं नागूखेडी से होते हुए उज्जैन रोड तक को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :

1. देवास विकास प्राधिकरण, देवास, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)
2. कलेक्टर, जिला-देवास
3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, देवास, जिला-देवास
4. नगर पालिक निगम, देवास
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् <https://ddadewas.org>

उपरोक्त स्कीम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

विशालसिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.